संख्या-4/16/623/33-2-2016-18जी/2016

प्रेषक,

अरविन्द प्रधान,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- अध्यक्ष,
समस्त जिला पंचायतें,
उत्तर प्रदेश।

2- अपर मुख्य अधिकारी,
समस्त जिला पंचायतें,
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 29 फरवरी, 2016

विषयः- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत अवमुक्त अनुदान के उपभोग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-576/33-2-16-18जी/2016, दिनांक 22-02-2016 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र के प्रस्तर-1 में अंकित " इस धनराशि को चार बराबर किस्तों में जिला पंचायतों को उपलब्ध कराने के निर्देश हैं, जिसमें से तीन किस्तें एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत 40 प्रतिशत धनराशि जिला पंचायतों को उपलब्ध करा दी गयी है, " के स्थान पर " इस धनराशि को चार बराबर किस्तों में जिला पंचायतों को उपलब्ध कराने के निर्देश हैं, जिसमें से तीन किस्तें एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत 4.0 प्रतिशत धनराशि जिला पंचायतों को उपलब्ध करा दी गयी है," पढ़ा जाय।

2- शासनादेश संख्या-576/33-216-18जी/2016, दिनांक 22-02-2016 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(अरविन्द प्रधान)
उप सचिव।

संख्या-4/16/623(1)/33-2-2016-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मुख्य अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(अरविन्द प्रधान)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in